

श्री कृष्ण वसोरा बनाम हकीब वसोरा

किस्म मुकदमा... शां वाद मुकदमा नम्बर... 47/2021 /200

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-------------------------------	---

01/11/21

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री वीरभाराम धारशर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Pt. II Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/12/21 को पेश हो।

01/12/21

पत्रावली धार वादी का वकील के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वादी का वकील ने प्रार्थना पत्र वाद विद्वा करने का पत्रावली विवेक किया कि उक्त वाद में पक्षकारों के मध्य संपात के गौजित लोगों ने सज्जीनामा करा दिया है। वादी का वाद को छोड़ने की चलावा चाहते हैं। वाद विद्वा किया जावे।
 न्याय विद्वा वादी का वकील का प्रार्थना पत्र वाद विद्वा करने वाद का सीमा लिया जाता है। वाद में छोड़ने की कार्यवाही इच्छा पर समाप्त ही जकर वाद विद्वा किया जाता है। प्रभावली प्रेषक सुभ्य होकर पक्षिक पक्ष है। हुक्म लि कप्त हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O) चौहटन

श्री कृष्ण

हुक्म



वादी वसोरा